बिन्दु-(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

समीक्षा अधिकारी-	7.5 रसीद प्रतिदिन
संदर्भदाता-	25-30 रसीद प्रतिदिन
रजिस्टर कीपर-	35-40 रसीद प्रतिदिन
टंकक-	4400 शब्द प्रतिदिन

1– उद्देश्य (MISSION)

सार्वजनिक उद्यम विभाग का उद्देश्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत निगमों/उपक्रमों के लिये इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण करना है कि प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम अपने कार्यो का संपादन अधिक दक्षता से उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु पारदार्शिता से करे। साथ ही साथ यह भी प्रयास होगा कि प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम वास्तव में उत्तरदायी एवं स्वायत्तशासी संगठन बने और अपने कार्यचालन के लिये जवाबदेह हों।

2– हमारे ग्राहक (OUR CLIENTS)

हमारे ग्राहक हैः–

1. प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम/उपक्रम।
2. प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक विभाग ।
3. प्रदेश के अन्य विभाग जैसे– वित्त विभाग, कार्मिक विभाग आदि ।

3– विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाये

1. समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु विभिन्न विषयों पर नीति निर्धारण।
2. नियमित आधार पर समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय एवं भौतिक कार्यचालन का मूल्यांकन।
3. शासन के समस्त विभागों एवं सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक विभागों को अपेक्षित विषयों पर परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।
4. समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न विषयों पर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ।

4– मानक (STANDARDS)

– ऐसे सभी प्रकरणों, जिन पर वर्तमान नीति तथा शासनादेशों के आधार पर स्पष्टीकरण दिया जाना है, का निस्तारण 07 कार्य दिवसों के अन्दर किया जायेगा।

– ऐसे सभी प्रकरणों, जिनमें वर्तमान ***नीति/शासनादेशों*** में संशोधन आवश्यक हो, का निस्तारण 15 दिन के भीतर किया जायेगा।

– ऐसे सभी प्रकरणों में या तो निस्तारण करके संदर्भ कर्ता को अवगत कराया जायेगा अथवा प्रगति की प्रास्थिति नियमित रुप से सूचित की जायेगी।

5– <u>वचनबद्धता (COMMITMENT)</u>

– समस्त कार्यो का सम्पादन तत्परता एवं सुगमता से किया जायेगा।

– विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन,स्वीकृतियों/प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिये निरन्तर प्रयास किये जायेगें।

– विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन एवं स्वीकृतियों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।

– विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों एवं मार्ग निर्देशों को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6– <u>प्रशासनिक *विभागों/सार्वजनिक* क्षेत्र के उद्यमों के दायित्व (RESPONSIBILITIES OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS AND SLPEs)</u>

– निर्धारित नीतियों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

– निर्धारित प्रारुपों में नियमित रुप से सही एवं समय से सूचनाओं का प्रेषण किया जाय।

– यदि किसी निर्धारित ***नीति/शासनादेश*** से इतर कार्यवाही प्रस्तावित हो तो सक्षम स्तर से उसका ***अनुमोदन/स्वीकृति*** प्राप्त की जाय।

– वर्तमान निर्धारित नीतियों में, यदि कालान्तर में संशोधन की आवश्यकता हो तो सम्पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

– ***उद्यमों/सार्वजनिक*** क्षेत्र के कार्मिकों तथा सम्मानित नागरिकों से यह अपेक्षा है कि इस विभाग की सेवाओं में सुधार लाने हेतु अपने सुझाव उपलब्ध करायें।

7– सामान्य जन से प्राप्त सभी ***परिवाद/शिकायतों*** पर आवश्यक कार्यवाही, मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आडर्स की व्यवस्थाओं तथा विभिन्न अवसरों पर जारी सुसंगत शासनादेशों के क्रम में यथाशीघ्र कराई जायेगी।

***